

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सीओए/6004/चयन/2018 दिनांक-17.09.2018 द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) लोकप्रशासन के पद पर चयन वर्ष 2018-19 हेतु नियमित एवं रिज्यु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 25 के उप नियम 11 बी के अन्तर्गत जारी निर्मित रिज्यु एवं रिज्युजन सूची में सम्मिलित संलग्न सूची में विवरणांकित 01 कार्मिकों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) लोकप्रशासन के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीकित वेतनमान) नियम 2017 के पे मैट्रिक्स वेतन लेवल 12 में आगामी चयन वर्ष की अंतिम तिथि अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पहले हों, तक की अवधि हेतु अस्थायी पदोन्नति की जाकर इन्हें इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) लोकप्रशासन के रियत पद पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्राधानान्तरण ऐसे राज्यकर्मियों जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हों तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे। पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 10/10/2018 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/लोकप्रशासन/रिज्यु डीपीसी-डीपीसी/रिज्यु रीविजन/2018

दिनांक- 05/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को पालनार्थ
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
8. संबंधित कार्मिक
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

शिविरा-मा / माध्य / संस्था / सी-5 / लोकप्रशासन / डीपीसी-2018-19 / आर0आर0 / 2018

दिनांक 05/10/2018

क्रसं	स्थायी वरिष्ठता सूची का क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	वर्ग	जन्मतिथि	कार्यरत स्थान (राउप्रावि / रामावि / राउमावि)	पदोन्नती पर पदस्थापन स्थान (राउमावि / राबाउमावि)	जिला
1	3111	1996-1997	MAHENDRA KUMAR NAKRA		14-10-1962	SARVE SIKSHA ABHIYAN ALWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHRIMA (08110301706)	DAUSA

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर